रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241039 CG-DL-E-13122022-241039

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5577] No. 5577] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5813(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात, वेस्टर्न डेडीकेटेड़ फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखण्ड अधिकारी, सांभर्, जयपुर, राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

8290 GI/2022 (1)

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम -जयपुर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	जयपुर	सांभरलेक	सामलपुरा	142	0.0075
				143	0.1660
				140	0.0540
				139	0.0840
				137 / 419	0.2280
				137	0.1350
				119	0.0700
				115	0.0850
				112	0.0090
				111	0.0230
				108	0.0060
				109	0.0520
				161	0.0500
				162	0.0430
				164	0.0045
				165	0.0065
				166 / 1,	0.0260
				166/2	
				167	0.0110
				168	0.0090
				170	0.0160
				172	0.0080
				217	0.0100
				254	0.2000

[फा. सं. 2022 / एलएमएल—II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2362] पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Jaipur in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer (Upkhand Adhikari), Sambhar, Jaipur, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Jaipur in the State of Rajasthan.

Name of the District- Jaipur

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey number	Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)			Samalpura	142	0.0075
	_		_	143	0.1660
				140	0.0540
				139	0.0840
				137/419	0.2280
				137	0.1350
				119	0.0700
				115	0.0850
				112	0.0090
				111	0.0230
				108	0.0060
				109	0.0520
				161	0.0500
				162	0.0430
				164	0.0045
				165	0.0065
				166/1, 166/2	0.0260
				167	0.0110
				168	0.0090
				170	0.0160
				172	0.0080
				217	0.0100
				254	0.2000

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2362]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)